20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

427

नि -1843- I-16

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

अनंतराम पुत्र बाबूलाल साहू निवासी ग्राम अनंतपुरा तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

––– आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन

–––– अनावेदक

श्री. एस.पी. ... एड. द्वारा आज दि. 08/06/2016 को प्रस्तुत

8.6.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला टीकमगढ़ प्र.क. 17/स्व.निगरानी/14–15 में पारित आदेश दि. 05.05.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क. 103/1 रकवा 0.809 हे. पर आवेदक का दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से खसरे के कॉलम नं. 12 में कब्जा अंकित था। कब्जे के आधार पर दिनांक 02.10.1984 के आधार पर विशेष उपबंध अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा व्यवस्थापन की मॉग की गई जिसका प्रक. 06/अ–19/87–88 पर दर्ज किया जाकर आपत्तियॉं आहूत की गईं, समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत से अभिमत लिया गया। आवेदक स्वयं के कथन लिये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य लेते हुये हल्का पटवारी से स्थल जांच कराई जाकर स्थल जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिवत नियमों का पालन करते हुये आवेदक के हित में राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम अंकित किया गया है। उक्त आदेश की शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत अनंतपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत के आधार पर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका आवेदक द्वारा विधिवत जबाव प्रस्तुत किया जाकर उक्त जबाव में 32 वर्ष पश्चात उक्त शिकायत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वप्रेरणा की कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 05.05.2016 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैः–

निगरानी के आधारः–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1843-एक/2016 जिला टीकमगढ़ अनंतराम विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 17/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य